

आदीज

27.08.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

2024/468

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
सरबती बनाम राजू नायक आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 137 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
26.07.2024	<p>प्राधीया की तरफ से वकील श्री सुरेन्द्रकुमार हुड्डा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया। बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्राधी को जरिये सामान्य व रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा तारीख 27.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">om ^</p>	
27.08.2024	<p>पत्रावली पेशा हुई। वकील प्राधी उपाधिगत नही वकील प्राधी क.प्राधी स्वयं को कलक्टर का काम लगाई हुई नी हाजिर नही। पत्रावली धा 212 अन्तर्गत जिसे चाला क्रिम हाजी व क्रिम फा.सी में प्राधीज डिफा जाला है। पत्रावली माप्प से क्रम की जाकर काउ तरकीब नकलील जावला एफिलर डी।</p> <p style="text-align: right;">om ^</p>	

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

